न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–514/2026

पूरक अलौली थाना काण्ड सं0–159/25

राहुल कुमार – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित

संजय कुमार–II,

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,

खगड़िया।

02.06.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त **राहुल कुमार** की ओर से पूरक अलौली थाना काण्ड सं0–159/25, जी0आर0 सं0–1098/25, धारा–191(2), 191(3), 190, 109 BNS, धारा–25(1बी)ए, 26, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 3/4 डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक **05.05.2026** से कारा अभिरक्षा में है। मूल काण्ड दैनिकी प्राप्त है तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से सत्यापित पूरक काण्ड दैनिकी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे इस मामले में संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित धाराओं के अन्तर्गत कोई भी मामला आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है तथा उस पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गयी है। आवेदक घटना के समय उपस्थित नहीं था और उसका नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कथित घटना में आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है। सह– अभियुक्त रूदल कुमार, चंदुला देवी उर्फ चंदा देवी और दिलखुश कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आपराधिक विविध सं0–67797/25,

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–514/2026

पूरक अलौली थाना काण्ड सं0–159/25

लगातार

02.06.2026

63933/25 एवं 51260/25 के माध्यम से जमानत प्रदान किया गया है तथा आवेदक का यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि पूर्व में सूचक का ग्रामीण हरे राम यादव की मां को उसके ही गांव की महिला के द्वारा चन्दूला डायन कहकर झगड़ा करती थी, जिसका सामाजिक स्तर से समझौता भी हुआ, इसके बावजूद भी नामित नहीं माने। दिनांक 22.04.25 को समय करीब ग्यारह बजे दिन में सूचक का पुत्र मिथिलेश कुमार और उसके ग्रामीण हरेराम यादव साथ होकर अपने घर की ओर आ रहा था कि हथवन पुबारी टोला बांध पर उक्त नामित चन्दूला ने बाहर से छः बाईक पर दस की संख्या में बदमाश को बुलाकर आदेश दिया कि हरेराम को जान से मार दो, तब जान से मारने के नियत से रूदल यादव ने अपने थ्रीनॉट से एक गोली चला दिया। हरेराम यादव के छिपने पर सूचक के पुत्र मिथिलेश कुमार के कमर के नीचे दाएं भाग चूतर पर गोली लग गया, जिससे उसका पुत्र जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों के आने तथा अपराधियों को घेरने पर कुछ अपराधी फरार हो गए तथा दिलखुश कुमार को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया तथा प्रशासन को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया एवं प्रशासन को बताया गया कि कुछ अपराधी हथियार एवं बाइक के साथ चन्दूला देवी के घर छिपे हुए हैं, जिसे पुलिस द्वारा उसके घर से एक देशी कट्टा एवं खोखा एवं चार बाईक बरामद किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0-514/2026
पूरक अलौली थाना काण्ड सं0-159/25

लगातार
02.06.2026

उभय पक्ष को सुना। मूल काण्ड दैनिकी, पूरक सत्यापित काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों पर सूचक के पुत्र तथा अन्य को हथवन पुबारी टोला बांध पर चन्दूला देवी के आदेश पर हरेराम यादव को जान से मारने के नियत से गाली चलाने, जो मिथिलेश कुमार के चूतर पर गोली लगी, जिससे वह जख्मी हो गया, का गंभीर आरोप है। इसके अलावे काण्ड दैनिकी की कंडिका-2 में वादी का पुनः बयान दर्ज है तथा कंडिका-6, 11, 26, 49, 50, 51 एवं 52 में अन्य साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसमें सभी ने अभियोजन कथन का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका-4 में तलाशी-सह-जब्ती सूची दर्ज है, जिसमें प्राथमिकी सह-अभियुक्त दिलखुश कुमार को कब्जे में लेकर एवं तलाशी के क्रम में प्राथमिकी सह-अभियुक्ता चंदुला देवी के घर से एक देशी कट्टा तथा एक खोखा एवं 04 मोटरसाईकिल बरामद किया गया है। कंडिका-35 के अनुसार, जब्त देशी कट्टा कारगर है। काण्ड दैनिकी की कंडिका-73 में जख्म जाँच प्रतिवेदन दर्ज है, जिसमें दो जख्म पाया गया है, हालांकि जख्म की प्रकृति साधारण है, जो कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया गया है। आवेदक इस काण्ड का नामित अभियुक्त नहीं है, परन्तु उसका नाम पूरक काण्ड दैनिकी की कंडिका-40 में आया है, जिसमें जब्त वाहन स्वामी रामकोली कुमारी से जब पुलिस पूछताछ किया, तो उसने बताई कि यह वाहन उसे शादी में उपहार में दिया गया था तथा घटना तिथि को आवेदक द्वारा उक्त वाहन को माँग कर ले जाने की बात बताई गयी है, जिसके समर्थन में रामकोली देवी के द्वारा शपथ-पत्र समर्पित किया गया है, जो काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न है। कंडिका-105 के अनुसार, कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता प्रतीत होने का उल्लेख है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0-514/2026

पूरक अलौली थाना काण्ड सं0-159/25

लगातार

02.06.2026

है, ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

[signature]

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	02.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	03.06.26
Uploading by	Nilesh Kumar (D.E.O.)